Uttar Pradesh State Bio-Energy Policy-2022	

Index

S. No.	Description	Page Number
1.	Preface	3-4
2.	Agriculture Waste Based Bio CNG/CBG Enterprises	5-6
3.	Urban Solid Waste, Livestock Waste, Agricultural Produce Market Waste and Sugar Mills Waste Based Bio CNG/CBG Units	6-7
4.	Incentive	8-9
5.	Nodal Agency	9
6.	Procedure for Registration of Enterprises to be Established under the Policy	9-13
7.	Allocation of the Land and Related Permissions	13
8.	Development of Waste Supply Chain	13-15
9.	Bio-Diesel and Bio-Ethanol	15-16
10.	Miscellaneous	16

1 <u>Preface</u>

The Government of Uttar Pradesh has implemented The State Bio-Energy Promotion Programme-2018 with the aim of promoting Bio-Energy enterprises in the State. Under this programme, facilities such as Capital Subsidy to Bio-Energy Enterprises, 100% reimbursement of State GST for10 years and 100% exemption in Stamp Duty on the purchase of land for the establishment of these enterprises were provided by the state government. So far 14 projects related to various Bio-Energy products and technologies have been issued sanction letters under the said programme.

In the present scenario, it is necessary to promote agricultural waste Bio-Energy enterprises more effectively based on agricultural waste to solve the problem of environmental crisis and loss in fertility of soil which arises from the burn in gof agricultural waste in the fields itself.

The establishment of Bio-Energy enterprises will also create additional income for farmers and generate new employment opportunities in rural areas. Similarly, there seems to be a need for rectification in the present policy structure to generate Bio-Energy from the widely available urban solid waste, livestock waste, waste generated from agricultural markets and waste of sugar mills in the state.

- 1.1 The name of this policy is "Uttar Pradesh State Bio-Energy Policy-2022"
- 1.2 Under this policy, Bio-Energy units will be established by the construction, operation and ownership through private investors/developers based on attraction by various facilities and incentives provided by the state government.
- 1.3 The period of this policy should be for five years from the date of notification and the bio-energy units registered and commissioned under this policy will get the benefits and facilities admissible under the policy for the entire life of the projects. The State Bio-Energy Enterprise Promotion Program-2018 and State Bio-Energy Policy-2014 shall be deemed to have ended from the date of notification of the

new policy. Under the Bio-Energy Enterprise Promotion Program-2018 issued earlier, the units to whom the letter of acceptance has been issued, will continue to get the benefits mentioned in the above approval letters, subject to terms and conditions mentioned in current policy.

- 1.4 Under this policy, benefits and facilities will be admissible only in the case of establishment of new plant and machinery and in the case of establishment of new plant and machinery in the already registered unit.
- 1.5 Under this policy for the promotion of Bio Energy enterprises different ministries coming under the Government of India will play a vital role in timely execution of policies and programme in already established Bio energy enterprises and for proper policy structure has been desired cooperation framed which depicts the from state government. Under this policy Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, the Letter of Interest (LoI) holders and various other enterprises related to bio-energy will be issued Expression of Interest (EoI) as per rules, Under this policy. After that, on providing DPR etc., the benefits of the policy will be given to the registered enterprises.
- 1.6 The main thrust of this policy is to promote production of Bio-CNG and Bio-Coal etc., through waste-based Bio-Energy enterprises but in the seasonal reduction of the availability of waste or as an alternative arrangement of feed stock for bio-energy plants, non-edible oil seeds/plantation of crops like karanj, neem, castor, jatropha etc. will be encouraged. Small rotation crops likes weet jowar and energy grass etc. will be planted in the barren lands to create additional feed stock for the production of bio-energy in the state. The work of plantation and production and value chain development of non-food oilseed crops, small rotation crops and energy grasses will be done through farmer producer companies or rural entrepreneurs on barren and infertile lands off farmers and village Panchayats.

2. <u>Agricultural Waste Based Bio-CNG / CBG Enterprises</u>

- 2.1 Up front subsidy will be provided on rakers, balers and trollers involved in the collection of bio-mass for the projects registered under the policy and to Farmer Producer Companies (FPOs) / Cooperative Societies/Sugar cane Societies operating in their catchment area/command area, by schemes running under the Agriculture Department Under the Sub Mission on Agriculture Mechanization program by the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, additional targets will be sought from the Government of India, if necessary, to provide subsidy on these equipments to the units established under the policy by the Department of Agriculture. The material-based equipment containing the ingredients will be provided to the Farmer Producer Companies / Co-operative Societies / Aggregators operating in their catchments to provide agricultural waste to CBG plants. Additional subsidy will be given by the Government of Uttar Pradesh in addition to the subsidy given by the Government of India.
- 2.2 At least one Farm Producer Company will be formed, training and hand holding will be done in each block for biomass collection by the agricultural department. The Agriculture Department will facilitate formation, training and capacity building of FPOs in their catchment areas for the supply of agricultural waste to Compressed Biogas (CBG) plants as well as for execution of long-term supply contract of agricultural waste between them and the LOI holders.
- 2.3 District level committee will be constituted as follows in order to make agricultural waste (Parali) easily available to the investor at market price in the districts.

District Magistrate: Chairman
 Chief Development Officer: Member
 Deputy R.M.O. Member

4. Deputy Director of Agriculture: Member Secretary

5. District Panchayat Rajya Officer: Member6. District Agriculture Officer: Member

7. Project Officer, UPNEDA: Member 8. FPO Organization/Aggregator: Member 9. Bio-Energy Entre preneur: Member

- 2.4 Bio-Manure obtained as a by-product from Bio-CBG plants has been included in the "Fermented Organic Manure" by the Government of India under the Fertilizer Control Order- 1985 vide Gazette Notification dated 13.07.2020. Agriculture Department State Agricultural Universities will promote research, marketing and distribution of organic manure produced by Bio Energy units. Sale and purchase of this Bio Manure at licensed fertilizers shops will be made mandatory by the agriculture department.
- 2.5 The investor can use the produced CBG for sale in a CBG pump installed by him after obtaining all statutory clearances.
- 2.6 Subsidy on production will be given to the investor by the State Government. This subsidy will be in addition to the benefits given in the waste/biomass based bio-energy projects of the Government of India.
- 2.7 Establishment of bio-coal projects based on agricultural waste on the basis of non-applicable land availability and commercial terms and conditions in the premises of coal based power plants of Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited or on the basis of commercial terms and conditions, their supply/use along with coal for power generation. Private investors will be encouraged for burning and other uses. Apart from this, bio-coal will also be purchased by the independent power producer as per the guide lines of the Ministry of Power, Government of India.
- 2.8 One Bio Plant(CBG or Bio-pellet or Bio diesel) will be installed in each Tehsil of Uttar Pradesh Tehsil will be made as a catchment area for Bio Plant.

- 3. Urban Solid Waste, Livestock Waste, Agricultural Produce Market Waste and Sugar Mills Waste Based Bio CNG /CBG Enterprises
- 3.1 Urban solid waste-based enterprises will be allowed to use facilities mentioned under the policy issued by the Urban Development Department of the state.
- 3.2 Bio-CBG plants will be set up in Uttar Pradesh according to the arrangement given in the Cooperative Societies Act, 1965 and with the permission of Uttar Pradesh Co-operative Sugar Mills Federation Ltd., in the premises of sugar mills of the cooperative sector. While issuing orders not to use the by-products of sugar mills like press mud etc., anywhere else and it will be used through long-term contract for bio-CNG plants, in which the rate of purchase of feed stock and the rate for reverse supply of bio-manure will be decided amongst themselves by the sugar mills and the cane development department. Bio-Manure, a by-product of CBG plants, will be distributed to the farmers of the sugar mill area.
- 3.3 Under the Government of Uttar Pradesh, the Animal Husbandry Department will cooperate in the establishment of CBG plants through selected LOI holders under SATAT scheme of Government of India executing long-term contracts for the availability of land and cow dung available in state animal shelters. By fixing the price a mechanism will be developed for collection and supply of cow dung from private Gaushalas to CBG plants.
- 3.4 Mechanism will also be developed for the collection of waste from State Agricultural Produce Markets and their delivery to CBG plants, for this a long term feedstock delivery contract will be entered in between Krishi Mandies and CBG plants investors.

4. <u>Incentives</u>

- 4.1 Under this policy, 100% exemption in electricity duty will be provided to the bio-energy enterprisese stablished for 10 years from the date of commencement of commercial production.
- 4.2 In case of acquisition of land through lease or purchase from private tenants for setting up of bio-energy enterprises/plants or feedstock collection and storage, 100% exemption of stamp duty payable on rent deed/lease/sale deed/registration will be provided.
- 4.3 Bio-energy enterprises will be given 100% exemption from the development charges charged by the development authorities of the state.

4.4 **Subsidy**

- (a) In addition to the maximum 50% subsidy given on the plants under the Central Government's Submission on Agricultural Mechanization scheme to the aggregators defined devices like belar, raker and troller will be provided by the state government through UPNEDA under this policy, [30 percent subsidy (up to a maximum limit of Rs. 20 Lakh)].
- (b) In addition to the policy/scheme of the Government of India, subsidy based on their production capacity will be given to the bio-energy enterprise units. Under this, on Compressed Bio-gas production at the rate of Rs. 75 lakh per ton to a maximum of Rs 20 crore, on Bio-coal production at the rate of Rs 75,000/- per ton up to a maximum of Rs 20 crore, on production of Bio Diesel at the rate of Rs 3 lakh per kiloliter. Maximum upto 20 crore will be given. This subsidy can be used by the unit for plant and machinery, infrastructure, construction, power supply and transmission system related works, which will not include the cost of administrative building and land.
- (c) The detailed project proposal regarding the project will be examined by a team of subject experts before deciding the liability of the subsidy by Government component to the unit the amount of capital subsidy will be released in the bank loan account after the commencement of

commercial production at full capacity of the concerned unit. Apart from this, if no bank loan is taken by the investor of the unit, then the amount of capital subsidy will be released in the bank account of the unit. Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Additional Resources of Energy Department will be the competent authority to allow extension in the time of acceptance of the subsidy and completion of the project.

4.5 If an entrepreneur invests 50 crores or more in a bio-plant, then hewillbegiventhefacilityofapproachroaduptoamaximumof05kmfromthe unittothemainroad.

5. Nodal Agency:

Under this policy, UPNEDA will be the nodal agency to promote the execution of bio-energy units policy. The nodal agency will provide assistance in registration of investors/developers, resolving their queries and problems and speedy disposal of pending applications lying with different departments related to bio energy.

6. <u>Procedure for registration of enterprises to be established under the policy.</u>

- 6.1 Under the Sustainable Plan of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, the developers who have already been issued LOI and other bio-energy units will be registered under the current policy.
- 6.2 UPNEDA will obtain and notify district wise/tehsil wise information from the concerned departments such as Agriculture, Animal Husbandry, Urban Development, Agriculture Marketing Department. District/ Tehsil wise surveys will be conducted by UPNEDA at regular intervals to upgrade the reports of biomass production capacity and viability of different type of biomass.

- 6.3 Based on energy generation from waste bio-mass based bio energy generation in tehsil, a bio plant up to the extent of maximum 40percent of the waste based energy generation capacity of the tehsil will be registered, the entire capacity cannot be registered so that it can be used for alternative uses other than bio energy and biomass should also be available in abundance to the local community. On the basis of the recommendation of the District Magistrate's committee, the registration of the unit will be done by UPNEDA after assessing the work and capacity of the unit and accordingly increase or decrease in the affiliated area.
- 6.4 The developer will have freedom to choose the actual site ofthe project within the tehsil. According to the capacity of the project and the requirement of biomass and the area covered for the same, no other bio-energy project will be registered in the tehsil so that continuous availability of sufficient biomass can been insured for the operation of the said plant and overcome the conflict between the projects for the supply of biomass and their financial viability should not be affected. Based on the capacity of the plant and the availability of biomass, the District Magistrate of the concerned district can increase the catchment area. The waste available in the Tehsil will be used in the concerned Tehsil. If someone establishes a large capacity plant, then two Tehsils can also be declared by the district magistrate as catchment area.
- 6.5 The Developer (Developer / Promoter) will be required to follow the guidelines issued by the Ministry of New and Renewable Energy, New Delhi and the relevant guidelines /regulation is issued by the Government of Uttar Pradesh from time to time in relation to the proposed project.
- 6.6 Under this policy, the developer willing to setup a waste/biomass-based bio-energy enterprise will submit the application for EOI in UPNEDA along with the following documents:-
 - (1) Application in the prescribed format.

- (2) A certified copy of the Memorandum and Articles of Association of the company/bye-laws of the registered society.
- (3) A certified copy of the partnership deed (if applicable).
- (4) Copy of the accounts (balance sheet)of the last three years, in case of start-up, the balance sheet of the promoter company /mother company.
- (5) Pre-feasibility report.
- (6) Registration fee, Bank Demand Draft of ten thousand rupees per unit. This registration fee is non-refundable.
- 6.7 The following documents will be submitted by the developer for approval within the prescribed time limit(three months):
 - (1) Detailed Project Report.
 - (2) Bio-mass Assessment Report.
 - (3) Land related documents (marked site for the project).
 - (4) CPM/PERT Chart (for the proposed project implementation)
 - (5) Water allocation order based on the availability of water at the project site.
 - (6) In case the project is located in urban area / rural area, no objection certificate from the concerned urban body /village Panchayat.
- 6.8 On the basis of per area net worth with respect to applied areas Implementation agreement will be executed after obtaining 3% performance guarantee on the basis of DPR submitted for bio- plants after approval from competent level, The time limit for setting up the plants will be of 2 years from the date of implementation agreement.

6.9 Extension of Time

As mentioned in Para 6.7 of this Policy, if there is a delay in the completion of the requisite activities and the delay is beyond the control of the developer, after reconciliation (according to the specific circumstances of the case) extension of two terms can be given to the developers.

6.10 After verification of the records submitted by the developer at UPNEDA, if found satisfactory, LOI will be issued to the developer after

the approval of the following state level committee constituted under the chairmanship of Additional Chief Secretary, Additional Sources of Energy Department, Government of Uttar Pradesh:-

1. 2.	Additional Chief Secretary, Department of Additional Sources of Energy. Additional Chief Secretary, Finance Department or	Chairman Member
3.	Nominated Representative not be low the rank of Special Secretary. Additional Chief Secretary, Revenue Department or Nominated Representative not be low the rank of Special Secretary.	Member
4.	Additional Chief Secretary, Department of Justice or	Member
	Nominated Representative not be low the rank of Special Secretary.	
5.	Chief Executive Officer, Invest UP or	Member
	Nominated Representative not below than the rank of Special Secretary.	
6.	Additional Chief Secretary, Agriculture Department or	Member
	Nominated Representative not below the rank of than Special Secretary.	
7.	Additional Chief Secretary, Planning Department or	Member
	Nominated Representative not below the rank of Special Secretary.	
8.	Distinguished Subject Experts from Central /State(Nominated by UPNEDA)	Member
9.	Director,UPNEDA	Member Secretary

The services of subject experts will be taken for examination of the records as and when required.

On the basis of the sanctioned letter, the developer will get the benefit of area affiliation mentioned in para 6.3 and 6.4 of the policy and they will be able to execute long-term contract related to feed stock supply from the concerned agreement. And FPOs / rural entrepreneurs operating in the catchment area, etc. will be able to get incentives related to the benefit of subsidized agricultural equipment. In case of non-commissioning of the plants by the scheduled commissioning date mentioned in the acceptance letter, the said approval and related benefits, incentives and facilities can be transferred in favor of other developer considering the above approval as cancelled. In addition to the above, this committee will ensure the discharge of the following additional responsibilities:

- 1. Get maximum investment under this policy.
- 2. To review the progress of implementation of such investor, who have been approved, and if there is any problem in their implementation, then redressal of them.

3. In this policy if any practical problem comes to notice, then recommendations will be made for amendment.

7. <u>Allocation of land and related Permissions</u>

- 7.1 For establishment and operation of bio-energy enterprises in Uttar Pradesh, 10 acres of land is required for 10 ton capacity CBG plant and 25 acres of land for storage at various places.02 acres of land is required for 100 ton per day bio-coal plant and 1.5 acres of land is required for 100 kiloliter bio-diesel /bio-ethanol plant. Accordingly, applications of developers for grant of land related permissions such as exemption from land ceiling etc. will be processed.
- 7.2 Deemed exemption from land ceiling and provision for conversion from agriculture to non agriculture land used for setting up of bio-energy enterprises/plants and for collection and storage of feed stock will be allowed.
- 7.3 (A) Land will be made available by the Revenue Department on token lease rent of Re 1 per acre annually for a maximum lease period of 30 years for setting up of bio-energy enterprises/plants and for collection and storage of feed stock. This lease will be non transferable.
 - (B) Land for Urban solid waste-based bio-energy plants will be admissible under the policy of the Urban Development Department of the land region.

8. <u>Development of Waste Supply Chain</u>

8.1 Ensuring waste supply remains a significant challenge in bio-energy enterprises. To address this problem, the entire supply chain has been developed in the policy. Under this, the aggregator model has been developed. In this model, along -term contract will be established between the bio-energy entrepreneur, was teaggregator and the farmer. For this, an IT based portal and mobile app will be developed by UPNEDA, through which the aggregator, farmer and developer will be brought on one plat form. Any FPO, Cooperative society and sugarcane society will work as aggregator.

This aggregator has to be registered on the above-mentioned platform. On the basis of the recommendation of the District Level Committee, one or more aggregators can be registered under a Tehsil. The District Level Committee will ensure that the number of aggregators is limited as per the requirement. Subsidy for machinery will be given to the aggregators registered by UPNEDA. In addition to the Submission on Agriculture Mechanization scheme, Government of India, 30 percent subsidy will be given by the Government of Uttar Pradesh up to a maximum limit of 20 lakhs. The district level committee constituted under the chairmanship of the District Magistrate will have the following responsibilities for the development of supply chain:

- 1. To establish coordination amongst the farmers, aggregators and entrepreneurs for establishing a supply chain of agricultural waste.
- 2. To determine the appropriate rate of agricultural waste in the entire district on the basis of mutual consent. Same price of agricultural waste in the district will be determined with the consent of the farmers.
- 3. Provide regulatory support to aggregators for transportation of agricultural waste.
- 4. To establish co-ordination of the entrepreneur with the organizations like Agriculture Department, Horticulture. Department, Municipal Body, Development Authority etc. for marketing of organic fertilizers.
- 5. Encouraging the entrepreneur for all regulatory clearances, such as fire, land sealing, conversion from agricultural to non agricultural land, availability of government land, electricity supply, transmission system, waiver of development charges of development authority etc.
- 6. To ensure compliance of command area by each aggregator.
- 7. Review of farmer's payments.
- 8. Facilitation of the contract for organic manure, compressed bio-gas, bio-pellets.

9. In case there is more than one aggregator the committee can recommend UPNEDA to grant subsidy on agricultural equipment's to more than one.

A route chart will be prepared by the aggregator as per the minimum cost principle by which the agricultural waste received form the farmers can be easily transported to the plant. The farmers will be paid by the aggregator within 15 days and the aggregator will be paid by the entrepreneur within 15 days . The produced bio-coal will be supplied by the entrepreneur to the thermal power projects. For this, the entrepreneur will enter into a contract with thermal power projects.

9. <u>Bio-Diesel and Bio-Ethanol</u>

Under the notification of Ministry of Petroleum and Natural Gas dated 30.4.2019, under the guidelines issued for the sale of bio-diesel for mixing with high-speed diesel for transportation purposes.

- 9.1 Uttar Pradesh government will take appropriate action to fix the retail sale and inspection of Bio Diesel (B 100).
- 9.2 Bio-diesel and Bio-mass/Agriculture Waste based Bio Ethanol will be procured and sold as per Oil Marketing Companies/BIS Standards.
- 9.3 Under the latest bio-energy policy of the Government of India, subsidy will be provided by the State Government with admissible central financial assistance to promote the establishment of bio-diesel and biomass/agro-waste based bio-ethanol production units in the state. To provide feed stock to these units in the state through Farmer Producer Companies/Government Societies, plantation of non-oil edible plants oilseed plants/trees/energy grass will be promoted for this purpose a basic structure for allotment of Gram Panchayat/Government lands, publicity, training and creation of necessary infrastructure will be framed.

10. **Miscellaneous**

- 10.1 It will be mandatory for the bio-energy units to be established under this policy to comply with the relevant environment allaws, regulations, and orders.
- 10.2 A high-powered committee will be constituted under the chairmanship of the Chief Secretary for monitoring, review, inter departmental co-ordination, redressal of difficulties and better implementation of the policy.
- 10.3 Under this policy, facilities and incentives will be payable only on technologies approved by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. Mixing of fossil-based fuels with waste/bio-mass will not be permissible.
- 10.4 Financial support for the establishment and running of project management unit to implement the U.P. State Bio-Energy policy 2022 and to support U.P. State bio energy development board will be provided by the budgetary allocation by the State Government.
- In every district of the state, a budgetary arrangement will be made at the rate of 1lakh per district with the aim of motivating the entrepreneurs by giving wide publicity to the bio-energy policy.

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022

विवरणिका

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना ।	3-4
2.	कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी / सीबीजी उद्यम।	5-6
3 .	नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यम।	6-7
4.	प्रोत्साहन ।	8-9
5.	नोडल एजेन्सी।	9
6.	नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया।	9—13
7.	भूमि का आवटन तथा तत्सम्बन्धी अनुमतियाँ।	13
8.	अपशिष्ट आपूर्ति श्रंखला का विकास	13-15
9.	बायोडीजल एवं बायोएथेनॉल।	15—16
10.	प्रकीर्ण ।	16



1. प्रस्तावनाः

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उद्यमों को पूंजीगत उपादान, राज्य जीएसटी की 10 वर्षों तक शत्—प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा इन उद्यमों की स्थापना हेतु भूमि क्य पर स्टाम्प ड्यूटी में शत्—प्रतिशत छूट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी थी। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक विभिन्न जैव ऊर्जा उत्पादों व तकनीकों से संबंधित 14 परियोजनाओं को स्वीकृति पत्र निर्गत किये गये हैं।

वर्तमान परिदृश्य में कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट तथा भूमि की उत्पादकता में क्षित की समस्या के समाधान हेतु और भी प्रभावी ढंग से कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। किसानों के लिए अतिरिक्त आय तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु भी जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना से विशेष बल मिलेगा। इसी प्रकार प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मंडियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट से जैव ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रचुर सम्भावनाओं को फलीभूत करने हेतु भी वर्तमान नीतिगत संरचना में परिमार्जन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

- 1.1 इस नीति का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति--2022" है।
- 1.2 इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी निवेशकों / विकासकर्ताओं को आकर्षित कर उनके माध्यम से जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना निर्माण, संचालन एवं स्वामित्व आधार पर कराई जायेगी।
- 1.3 इस नीति की कालाविध अधिसूचना के दिनांक से पाँच वर्ष तक के लिए होगी तथा इसके अन्तर्गत पंजीकृत तथा किमशन होने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों को नीति के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ तथा सुविधायें परियोजनाओं के सम्पूर्ण जीवन काल तक प्राप्त होंगी। नई नीति की अधिसूचना की तिथि से पूर्ववर्ती राज्य जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम-2018 तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 समाप्त



समझी जायेगी। पूर्व में निर्गत जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 के अन्तर्गत जिन इकाइयों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा चुका है, को उक्त स्वीकृति पत्रों में वर्णित लाभ नियत शर्तों के अधीन प्राप्त होते रहेंगे।

- 1.4 इस नीति के अन्तर्गत मात्र नये प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की दशा में तथा पुरानी यूनिट के विस्तार में नये प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की दशा में ही लाभ तथा सुविधाएं अनुमन्य होंगी।
- 1.5 इस नीति के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु लागू नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्यमों को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने तथा उनमें प्रदेश सरकार से वांछित सहयोग तथा भूमिका के निर्वहन हेतु नीतिगत संरचना निर्धारित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सतत् योजनान्तर्गत चयनित लेटर ऑफ इन्ट्रेस्ट (एलओआई) होल्डर्स तथा जैव ऊर्जा से सम्बन्धित अन्य विभिन्न उद्यमों का नियमानुसार एक्प्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट (ई0ओ०आई०) जारी किया जायेगा। तदोपरांत डीपीआर आदि उपलब्ध कराने पर पंजीकरण कर नीति के लाभ दिये जायेंगे।
- 1.8 इस नीति का मुख्य बल अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों के माध्यम से बायो सीएनजी तथा बायोकोल आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना है परन्तु अपशिष्ट की उपलब्धता में सीजनल कमी आने अथवा जैव ऊर्जा प्लांट हेतु फीड स्टाक की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, गैर—खाद्य तिलहन / फसलों जैसे करंज, नीम, एरंड, जैट्रोफा आदि के पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रदेश में जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु अतिरिक्त फीडस्टॉक बनाने के लिए लघु रोटेशन फसल जैसे कि मीठे ज्वार और ऊर्जा घास इत्यादि को बंजर भूमि में लगाया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों तथा ग्राम पंचायतों की बंजर तथा अनुपजाऊ भूमियों पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों अथवा ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से गैर खाद्य तिलहन फसलों, लघु रोटेशन फसलों और ऊर्जा घासों के पौधारोपण तथा उत्पादन एवम् मूल्य शृंखला विकास का कार्य किया जायेगा।



2. कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी / सीबीजी उद्यम

- 2.1 नीति के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं तथा उनके कैचमेंट एरिया / कमांड एरिया में सिक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों (एफपीओ) / सहकारी सिमितियां / गन्ना सिमितियों को बायोमास के संग्रहण हेतु रेकर, बेलर तथा ट्रालर पर अपफन्ट सिब्सिडी कृषि विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। कृषि एवम् कृषक कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा सब—मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन उपकरणों पर दी जा रही सिब्सिडी को कृषि विभाग द्वारा नीति के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को प्रदान करने हेतु यथावश्यकता भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की जायेगी। नीति के अन्तर्गत उपादान युक्त उपकरण सीबीजी संयत्रों को कृषि अपशिष्ट उपलब्ध कराने हेतु उनके कैचमेंट में सिक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों / सहकारी सिनियाँ / एग्रीगेटर को प्रदान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा वी गयी सिब्सिडी के अतिरिक्त सिब्सिडी दी जायेगी।
- 2.2 कृषि विभाग द्वारा बायोमास संग्रहण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन, प्रशिक्षण तथा हैण्ड होल्डिंग की जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति हेतु उनके कैचमैण्ट एरिया में एफपीओ के गठन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के साथ ही उनके तथा एलओआई होल्डर्स के मध्य कृषि अपशिष्ट की दीर्घवाही आपूर्ति संविदा के निष्पादन हेतु फेसिलिटेशन किया जायेगा।
- 2.3 जनपदों में कृषि अपशिष्ट (पराली) निवेशक को पराली बाजार मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध हो सके इस हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

1. जिलाधिकारी : अध्यक्ष

2. मुख्य विकास अधिकारी : सदस्य

3. डिप्टी आर.एम.ओ. : सदस्य

4. उप कृषि निदेशक : सदस्य सचिव

5. जिला पंचायत राज्य अधिकारी : सदस्य

6. जिला कृषि अधिकारी : सदस्य

7. परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा

: सदस्य

एफ.पी.ओ. संगठन / एग्रीगेटर

: सदस्य

जैव ऊर्जा उद्यमी

: सदस्य

2.4 बायो सीबीजी संयंत्रों से सह—उत्पाद के रूप में निकलने वाले बायो—मैन्यूर को फर्टीलाइजर कंट्रोल ऑर्डर—1985 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.07.2020 के द्वारा "फरमंटेड ऑरगेनिक मैन्यूर" में शामिल किया गया है। कृषि विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जैव ऊर्जा इंकाईयों से उत्पादित आर्गेनिक खाद के प्रयोग सम्बन्धी शोध, प्रसार तथा विक्रय, इसके सम्बन्ध में नियत विशिष्टियों एवं मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा संचालित तथा लाईसेंस शुदा खाद की दुकानों पर भी इस बायो मैन्यूर का क्रय—विक्रय अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

- 2.5 निवेशकर्ता उत्पादित सीबीजी का उपयोग स्वयं द्वारा स्थापित सीबीजी पम्प में विक्रय हेतु सभी वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने के उपरान्त कर सकेगा।
- 2.6 निवेशकर्ता को राज्य सरकार द्वारा उत्पादन पर सब्सिडी दी जायेगी। यह सब्सिडी भारत सरकार की अपशिष्ट/बायोमास आधारित जैव ऊर्जा परियोजनाओं में दिये गये लाभ के अतिरिक्त होगा।
- 2.7 कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोकोल परियोजनाओं की स्थापना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली सयंत्रों के परिसरों में अप्रयोज्य भूमि उपलब्धता एवं वाणिज्यिक नियम तथा शर्तों के आधार पर अथवा उनके सन्निकट कराने, इनकी आपूर्ति / उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के साथ जलाने तथा अन्य उपयोग हेतु निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा भी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के दिशा—निर्देश के अनुसार बायोकोल क्य किया जायेगा।
- 2.8 उत्तर प्रदेश के प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लाण्ट (सीबीजी या बायोपेलेट या बायोडीजल) लगाया जायेगा। तहसील को बायो प्लॉण्ट हेतु कैचमेण्ट एरिया बनाया गया है।



- 3. <u>नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट तथा</u> चीनी मिलों के अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यम।
- 3.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित उद्यमों को प्रदेश की नगर विकास विभाग द्वारा जारी नीति के अन्तर्गत सुविधाएं अनुमन्य होंगी।
- 3.2 उ०प्र० में सहकारी समिति अधिनियम—1965 में दी गई व्यवस्था तथा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि० की अनुमित से सहकारी क्षेत्र की शुगर मिलो के पिरसरों में उपलब्धतानुसार बायो—सीबीजी संयत्रों की स्थापना की जायेगी तथा चीनी मिलों के सह—उत्पाद यथा प्रेसमड इत्यादि को अन्यत्र उपयोग न करने संबंधी आदेश निर्गत करते हुए इसकी आपूर्ति दीर्घाविध अनुबन्ध के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले बायो सीएनजी सयत्रों हेतु की जायेगी, जिनमें फीडस्टार्क की क्रय दर तथा बायो मैन्योर की रिवर्स आपूर्ति हेतु दर चीनी मिलों एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा आपस में तय की जायेगी। सीबीजी प्लांटों के सह—उत्पाद बायो—मैन्योर का वितरण चीनी मिल क्षेत्र में कृषकों को किया जायेगा।
- 3.3 उ०प्र० सरकार के अधीन पशुपालन विभाग द्वारा राजकीय पशु आश्रय स्थलों में उपलब्ध भूमि तथा गोबर की उपलब्धता हेतु दीर्घाविध संविदा के संपादन द्वारा सतत् योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर्स के माध्यम से सीबीजी संयत्रों की स्थापना में सहयोग किया जायेगा। निजी गौशालाओं से गोबर के एकत्रीकरण, संग्रहण तथा उसका मूल्य निर्धारित करते हुए सीबीजी संयंत्रों तक उनकी आपूर्ति हेतु मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा।
- 3.4 राज्य कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट के संग्रहण तथा सीबीजी सयंत्रों तक उनकी डिलिवरी हेतु भी मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा। इसके लिए कृषि मण्डियों और सीबीजी सयंत्रों निवेशकों के बीच दीर्घावधि फीडस्टॉक डिलिवरी संविदा संपादित की जायेगी।



4. प्रोत्साहन

4.1 विद्युत शुल्क में छूट

इस नीति के अन्तर्गत स्थापित जैव ऊर्जा उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ की तिथि से 10 वर्षो तक विद्युत शुल्क में शत—प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

4.2 स्टाम्प ड्यूटी की शत्प्रतिशत छूट

जैव ऊर्जा उद्यमों / संयंत्रों की स्थापना अथवा फीडस्टॉक संग्रहण एवं भण्डारण हेतु निजी काश्तकारों से भूमि क्रय अथवा लीज के माध्यम से अर्जित किये जाने की दशा में किराये नामे / लीज / विक्रय विलेख पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की शत्–प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

4.3 जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्जेज से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

4.4 उपादान

- (अ) इस नीति के अंतर्गत परिभाषित एग्रीगेटर को केन्द्र सरकार के सबिमशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत संयंत्रों पर दी जा रही अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम रू० 20 लाख की सीमा तक) प्रदेश सरकार द्वारा बेलर, रेकर एवं ट्राली उपकरणों पर यूपीनेडा के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ब) इसके अतिरिक्त जैव ऊर्जा उद्यम इकाईयों को भारत सरकार की नीति / योजना के अतिरिक्त, उत्पादन क्षमता पर अनुदान दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर रू० 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ तक, बायोकोल उत्पादन पर रू० 75,000 / प्रति टन की दर से अधिकतम रू० 20 करोड़ तक, बायो डीजल के उत्पादन पर रू० 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम 20 करोड़ दिया जायेगा। इस सब्सिडी का प्रयोग इकाई द्वारा प्लाट एवं मशीनरी, बुनियादी ढांचा, निर्माण, विद्युत आपूर्ति तथा पारेषण तंत्र संबंधित कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें प्रशासनिक भवन एवं भूमि की लागत सम्मिलित नहीं होगी।
- (स) इकाई को उपादान की देयता के विनिश्चय से पूर्व परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण विषय विशेषज्ञों की टीम से कराया जायेगा।



पूंजीगत उपादान की धनराशि संबंधित इकाई के पूर्ण क्षमता पर वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के उपरांत बैंक लोन एकाउण्ट में निर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त अगर इकाई के निवेशक द्वारा कोई भी बैंक लोन नहीं लिया जाता है, तो पूंजीगत उपादान की धनराशि इकाई के बैंक एकाउन्ट में निर्गत की जायेगी। उपादान की स्वीकृति तथा परियोजना की पूर्णता की तिथि में समय विस्तार को अनुमन्य किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सक्षम अधिकारी होंगे।

4.5 यदि किसी उद्यमी द्वारा बायोप्लान्ट में 50 करोड या उससे अधिक का निवेश किया जाता है तो उसे इकाई से अधिकतम 05 किमी0 तक एप्रोच रोड की सुविधा मुख्य मार्ग तक दी जायेगी।

5. <u>नोडल एजेन्सीः</u>

इस नीति के अन्तर्गत जैव ऊर्जा इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपीनेडा नोडल एजेन्सी होगी। नोडल एजेन्सी द्वारा निवेशकों/विकासकर्ताओं का पंजीकरण, उनकी जिज्ञासाओं तथा समस्याओं का समाधान एवं विभिन्न विभागों में इन इकाईयों के लम्बित आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6. नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्यमों के पंजीकरण की प्रकिया

- 6.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सतत् योजनान्तर्गत पूर्व से जिन विकासकर्ताओं को एलओआई निर्गत हो चुका है तथा अन्य जैव ऊर्जा की इकाईयों का पंजीकरण वर्तमान नीति के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 6.2 यूपीनेडा द्वारा सम्बन्धित विभागों यथा—कृषि, पशुपालन, नगर विकास, कृषि विपणन विभाग से सूचना प्राप्त कर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अति शेष बायोमास की उपलब्धता के आधार पर जिलेवार/तहसीलवार जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता अधिसूचित की जायेगी। नये सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट के आधार पर समय—समय पर जिलेवार तथा तहसीलवार अतिशेष बायोमास की उपलब्धता एवं तदनुसार बायोमास अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में संशोधन किया जा सकेगा।



- 6.3 तहसील में अपशिष्ट बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु उस तहसील की अधिसूचित अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के अधिकतम 40 प्रतिशत तक की सीमा तक एक बायो प्लॉण्ट, सम्पूर्ण क्षमता का, पंजीकरण किया जा सकेगा तािक जैव ऊर्जा के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रयोगों हेतु भी बायोमास स्थानीय समुदाय को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। जिलाधिकारी की समिति की संस्तुति के आधार पर क्षेत्र का सम्बद्धीकरण घटाने अथवा बढ़ाने का कार्य एवं क्षमता का आंकलन कर पंजीकरण यूपीनेडा द्वारा किया जायेगा।
- 6.4 तहसील के अन्दर परियोजना के वास्तविक स्थल चयन हेतु विकासकर्ता को स्वतंत्रता रहेगी। परियोजना की क्षमता तथा बायोमास की आवश्यकता एवं आच्छादन क्षेत्रफल के अनुसार तहसील में अन्य किसी जैव ऊर्जा परियोजना का पंजीकरण नहीं किया जायेगा ताकि उक्त प्लांट के संचालन हेतु पर्याप्त बायोमास की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा परियोजनाओं के बीच आपस में बायोमास आपूर्ति हेतु अवांछित टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कुप्रभावित न हो। प्लांट की क्षमता तथा बायोमास की उपलब्धतता के आधार पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी दायरे की सीमा को बढ़ा सकेंगे। तहसील में उपलब्ध अपशिष्ट का उपयोग सम्बन्धित तहसील में किया जायेगा। यदि कोई बड़ी क्षमता का प्लाण्ट लगाता है तो दो तहसीलों को भी एक कैंचमेण्ट एरिया जिलाधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है।
- 6.5 विकासकर्ता (डेवलपर / प्रमोटर) को प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं समय—समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सुसंगत दिशा निर्देशों / विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
- 6.6 इस नीति के अन्तर्गत अपशिष्ट / बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक विकासकर्ता द्वारा यूपीनेडा में ईओआई हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जायेगा:-
 - (1) विहित प्रारूप में आवेदन।



- (2) कम्पनी के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन / पंजीकृत सोसाईटी की उपविधियों की प्रमाणित प्रति।
- (3) भागीदारी-विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, (यदि लागू हों)।
- (4) विगत तीन वर्षों के लेखे (बेलेन्स शीट) की प्रति। स्टार्टअप के केस में प्रोमोटर कम्पनी / मदर कम्पनी की बैलेन्सशीट।
- (5) पूर्व साध्यता (प्री-फीजिबिलिटी) प्रतिवेदन।
- (6) पंजीकरण शुल्क रूपये दस हजार प्रति इकाई मूल्य का बैंक डिमाण्ड डाफ्ट। यह पंजीकरण शूल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
- 6.7 विकासकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज निर्धारित समय—सीमा (तीन माह) में अनुमोदन हेत् प्रस्तुत किये जायेगें:—
 - (1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
 - (2) बायोमास एसेसमेन्ट रिपोर्ट।
 - (3) भूमि सम्बन्धी दस्तावेज (परियोजना हेतु चिह्नित स्थल)।
 - (4) सी0पी0एम0 / पर्ट चार्ट (प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु)।
 - (5) परियोजना स्थल पर पानी की उपलब्धता के आधार पर जल आवंटन आदेश।
 - (6) परियोजना का शहरी क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने की दशा में विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 6.8 विकासकर्ता द्वारा कुल आवेदित स्थलों के सापेक्ष प्रति स्थल नेटवर्थ के आधार पर क्षेत्र सम्बद्ध करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत बायो प्लॉण्टों हेतु जमा की गई डी०पी०आर० के आधार पर 03 प्रतिशत परफारमेंस गारण्टी प्राप्त कर इम्प्लीमेन्टेशन अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित समय सीमा इम्प्लीमेण्टेशन एग्रीमेण्ट से 02 वर्ष होगी।

6.9 <u>समयावृद्धि</u>

इस नीति के प्रस्तर 6.7 में उल्लिखित अनुसार, यदि अपेक्षित गतिविधियों को पूरा करने में विलम्ब होता है और यह विलम्ब विकासकर्ता के नियंत्रण से परे हो तो समाधान कर लेने के पश्चात् (प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार) 2–2 मास के दो खण्डों में समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।

6.10 विकासकर्ता द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों के यूपीनेडा स्तर पर परीक्षणोपरांत, संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विकासकर्ता को स्वीकृति पत्र अपर मुख्य



सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जायेगाः—

1. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग – अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अथवा - सदस्य विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि 3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग अथवा – सदस्य विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि – सदस्य 4. अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी अथवा – सदस्य विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि 6. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग अथवा – सदस्य विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि 7. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग अथवा - सदस्य विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि 8. केन्द्र / राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ (यूपीनेडा द्वारा नामित) – सदस्य - सदस्य सचिव 9. निदेशक, यूपीनेडा अभिलेखों के परीक्षण हेतु यथावश्यकता विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायेंगी। उक्त स्वीकृति पत्र के आधार पर विकासकर्ता को नीति के प्रस्तर 6.3 तथा 6.4 में वर्णित क्षेत्र सम्बद्धीकरण का लाभ तथा संबंधित संस्था से फीडस्टॉक आपूर्ति संबंधी दीर्घावधि अनुबंध के निष्पादन हेतु सुविधा तथा कैचमेंट एरिया में सक्रिय एफपीओ / ग्रामीण उद्यमियों इत्यादि को अनुदान प्राप्त कृषि उपकरणों का लाभ सम्बंधी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेंगे परन्तु स्वीकृति पत्र में वर्णित शिड्यूल कमिशनिंग

उपरोक्त के अतिरिक्त यह समिति निम्न अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेगी:-

तिथि तक सयंत्रों के कमीशन न होने की स्थिति में उक्त स्वीकृति को निरस्त

मानते हुए अन्य विकासकर्ता के पक्ष में उक्त स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी लाभ,

1— इस नीति के तहत अधिक से अधिक निवेश प्राप्त हो!

प्रोत्साहन तथा सुविधाएं स्थानान्तरित की जा सकेंगी।

2- ऐसे निवेशकों, जिनको स्वीकृति दे दी गयी है, उनके कियान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा उनके कियान्वयन में यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसका निराकरण।



3- इस नीति में यदि कोई व्यवहारिक समस्या संज्ञान में आती है तो उसमें संशोधन के लिए संस्तुतियां प्रदान करना।

7. भूमि का आवंटन तथा तत्सम्बन्धी अनुमतियाँ

- 7.1 उ०प्र० में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 एकड भूमि 10 टन क्षमता के सीबीजी प्लॉण्ट के लिए तथा भण्डारण हेतु 25 एकड़ भूमि विभिन्न स्थलों पर आवश्यक होती हैं। 100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के बायो—कोल प्लॉण्ट हेतु 02 एकड़ भूमि तथा 100 कि०ली० बायो—डीजल/बायो—एथेनॉल प्लॉण्ट के लिए 1.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। तदनुसार ही भूमि संबंधित अनुमतियाँ यथा लैंड सीलिंग से छूट इत्यादि प्रदान करने हेतु विकासकर्ताओं के आवेदनों पर कार्यवाही की जायेगी।
- 7.2 जैव ऊर्जा उद्यमों / सयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु प्रयुक्त भूमि को लैण्ड सीलिंग से डीम्ड छूट व कृषि से गैर—कृषि डीम्ड कन्वर्जन की व्यवस्था अनुमन्य होगी।
- 7.3 (क) राजस्व विभाग द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों / संयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु अधिकतम 30 वर्षों की लीज अवधि हेतु भूमि एक रूपये प्रति एकड़ वार्षिक के टोकन लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह लीज नान—ट्रांसफरेबल होगी।
 - (ख) नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा सयत्रों को भूमि प्रदेश के नगरीय विकास विभाग की नीति के अन्तर्गत सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला का विकास

8.1 जैव ऊर्जा उद्यमों में अपशिष्ट आपूर्ति सुनिश्चित कराना एक महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु नीति में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का विकास किया गया है। इसके अन्तर्गत एग्रीगेटर माडल का विकास हुआ है। इस मॉडल के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उद्यमी, अपशिष्ट एग्रीगेटर एवं किसान के बीच दीर्घकालीन अनुबन्ध स्थापित किया जायेगा। इस हेतु यूपीनेडा द्वारा एक आईटी आधारित एक पोर्टल एवं मोबाईल ऐप का विकास किया जायेगा इसके माध्यम से एग्रीगेटर, किसान एवं विकासकर्ता को एक प्लेटफार्म पर लाया जायेगा। कोई भी एफपीओ,

को—आपरेटिव सोसाईटी एवं गन्ना सिमित द्वारा एग्रीगेटर का कार्य किया जा सकता है। इस एग्रीगेटर को उपरोक्त लिखे प्लेटफार्म पर रिजस्टर करना होगा। जिला स्तरीय सिमित की संस्तुति के आधार पर एक तहसील के अन्तर्गत एक या एक से अधिक एग्रीगेटर को पंजीकृत किया जा सकता है। जिला स्तरीय सिमित यह सुनिश्चित करेगी कि एग्रीगेटर की संख्या आवश्यकता के अनुरूप सीमित रहे। यूपीनेडा द्वारा पंजीकृत एग्रीगेटर को मशीनरी हेतु सब्सिडी दिया जायेगा। सब्सिडी का दर भारत सरकार द्वारा दिये गये सिमशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अतिरिक्त 30 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 20 लाख की सीमा तक दिया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सिमित द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के विकास हेतु निम्नलिखित दायित्व होंगे:—

- 1— कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति श्रृंखला हेतु किसानों, एग्रीगेटर एवं उद्यमी के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- 2— सम्पूर्ण जिले में कृषि अपशिष्ट की उचित दर का आपसी सहमित के आधार पर निर्धारण करना। जिले में कृषि अपशिष्ट का एक ही मूल्य किसानों की सहमित से निर्धारित किया जायेगा।
- उ– एग्रीगेटर को कृषि अपशिष्ट के ट्रांसपोर्ट हेतु रेग्यूलेटरी सहयोग प्रदान करना।
- 4— जैविक खाद के मार्केटिंग हेतु उघमी का कृषि विभाग, उद्यान विभाग, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- 5— उद्यमी को समस्त रेगुलेटरी क्लीयरेन्स के लिए उत्प्रेरित कराना, जैसे अग्निशमन, लैण्ड सीलिंग, कृषक से अकृषक भूमि कन्वर्जन, सरकारी भूमि की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, पारेषण तन्त्र, विकास प्राधिकारण के डेवलपमेन्ट चार्जेज का वेवर इत्यादि।
- 6- प्रत्येक एग्रीगेटर द्वारा कमाण्ड एरिया का अनुपालन सुश्चित कराना ।
- 7- किसानों के भुगतान की समीक्षा।
- अविक खाद, कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो—पेलेट्स हेतु जारी अनुबन्ध का फैसीलिटेशन।



9— एक तहसील में एक से अधिक एग्रीगेटर होने की दशा में आवश्यकतानुसार एक से अधिक एग्रीगेटर को कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु संस्तुति यूपीनेडा को कर सकती है।

एग्रीगेटर द्वारा न्यूनतम लागत सिद्वांत के अनुसार एक रूट चार्ट बनाया जायेगा जिससे किसानों से प्राप्त कृषि अपशिष्ट को सुगमता से प्लांट तक परिवहन किया जा सकेगा। ऐग्रीगेटर द्वारा किसानों का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जायेगा एवं उद्यमी द्वारा ऐग्रीगेटर का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जायेगा।

उत्पादित बायोकोल की आपूर्ति उद्यमी द्वारा तापीय विद्युत परियोजनाओं को किया जायेगा। इस हेतु उद्यमी द्वारा तापीय विद्युत परियोजनाओं के साथ अनुबन्ध किया जायेगा।

9. बायोडीजल एवं बायोएथेनॉल

- 9.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.4.2019 के अन्तर्गत उ०प्र० में परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु निर्गत दिशा—निर्देश के अन्तर्गत उ०प्र० शासन द्वारा प्रदेश में जैव डीजल (बी—100) की खुदरा बिक्री हेतु अनुमित प्रदान करने व निरीक्षण इत्यादि के संबन्ध में कार्य प्रक्रिया नियत करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 9.2 बायो डीजल तथा बायोमास / कृषि अपशिष्ट आधारित बायो एथेनाल का कय-विकय तेल विपणन कम्पनियों / बी०आई०एस० मानकों के अनुसार किया जाएगा।
- 9.3 भारत सरकार की अद्यतन जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत प्रदेश में बायो डीजल तथा बायोमास / कृषि अपशिष्ट आधारित बायो एथेनाल उत्पादन इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा उपादान उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में इन इकाईयों को फीडस्टॉक उपलब्ध कराने हेतु फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनीज / सरकारी समितियों के माध्यम से अखाद्य तिलहन पौधों / पेड़ों / ऊर्जा घास के रोपण तथा इस उद्देश्य हेतु खाली पड़ी



ग्राम पंचायत / राजकीय भूमियों के आवंटन, प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जायेगा।

10. <u>प्रकी</u>र्ण

- 10.1 इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों द्वारा संबंधित पर्यावरणीय अधिनियमों, विनियमों तथा आदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- 10.2 अनुश्रवण, समीक्षा, अन्तर्विभागीय समन्वय, किवनाईयों के निराकरण तथा नीति के सुचारू क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जायेगी।
- 10.3 इस नीति के अन्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकों पर ही सुविधाएँ और प्रोत्साहन देय होंगे तथा अपशिष्ट / बायोमास में जीवाश्म आधारित ईंधन का मिश्रण अनुमन्य नहीं होगा।
- 10.4 उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति—2022 के क्रियान्वयन एवं उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के सहयोग हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन तथा संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन की व्यवस्था राज्य सरकार के बजट के माध्यम से की जायेगी।
- 10.5 प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जैव ऊर्जा नीति का व्यापक प्रचार प्रसार कर उद्यमियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रति जनपद रू. 1.0 लाख की दर से बजटीय व्यवस्था की जायेगी।



कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायो एथेनॉल एवं बायो डीजल प्लाट्स हेतु राज्य वित्तीय सहायता का विवरण

अ कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स

नीति की कालावधि में लक्षित क्षमता

-1000 टन सीबीजी प्रतिदिन

वित्तीय उपाशयं – रू० ७५० करोड

वर्ष	लक्षित क्षमता (टन प्रतिदिन)	वित्तीय उपाशय (करोड़ में)
2022-23	100	75
2023-24	250	187.5
2024-25	500	375
2025-26	750	562.5
2026-27	1000	750

ब. बायोकोल प्लांट्स

नीति के कालावधि में लक्षित क्षमता –

4000 टन बायोकोल प्रतिदिन रू० 30 करोड

वित्तीय उपाशय—क्त 30 करोड़वर्षलक्षित क्षमता (टन प्रतिदिन)वित्तीय उपाशय (करोड़ में)2022-233002.252023-2480062024-25180013.5

2026-27 4000 स. बायो एथेनॉल एवं बायो डीजल प्लांट्स

2025-26

नीति के कालावधि लक्षित क्षमता

2000 किलोलीटर प्रतिदिन।

22

30

वित्तीय उपाशय – रू० ६० करोड़

2900

वर्ष	लक्षित क्षमता (किलोलीटर प्रतिदिन)	वित्तीय उपाशय (करोड़ में)
2022-23	200	6
2023-24	500	15
2024-25	900	27
2025—26	1450	43.5
2026-27	2000	60

ह. बायोमास के संग्रहण हेतु रेकर, बेलर तथा ट्रालर पर अतिरिक्त अनुदान

फार्म मशीनरी एक्यूपमेंट यूनिट की संख्या – 500

वित्तीय उपाशय
 वित्तीय उपाशय

य 50 करोड से अधिक की परियोजनाओं हेतु एप्रोच रोड का निर्माण

• वित्तीय उपाशय (२०० किमी०)

– रू0 100 करोड

र. नीति का प्रचार प्रसार वित्तीय उपाशय (प्रति जनपद रू० 1.0 लाख)— रू० 0.75 करोड़